

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 43/2022

श्री. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अगिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

2. श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी वार्ड नम्बर 04, नामदेव गुरुद्वारा रोड, थोरी बस्ती, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
-नमूना विक्रेता एवं मालिक-
मै० जी.डी. मार्केटिंग, प्लॉट नम्बर 16 बी, 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/52

निर्णय


दिनांक : 06.01.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक:एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2012 के गजट में भग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो पत्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.06.2022 को दोपहर बाद 2.30 पीएम पर मै० जी.डी. मार्केटिंग, प्लॉट नम्बर 16-बी, 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहा श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी वार्ड नम्बर 04, नामदेव गुरुद्वारा रोड, थोरी बस्ती, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध Cow Ghee (Sorath) के 500 एमएल के 3 कार्टून, 1 लीटर के 3 कार्टून 15 किलोग्राम के 54 टीन रखे है के अमानक का शक होने पर 500 एमएल के 4 जार Cow Ghee (Sorath) खाद्यकारोबारकर्ता श्री विजय कुमार बंसल को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री विजय बंसल को 640/- रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं




अति. जिला करलेटर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं रामझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री विजय बंसल को देकर असल रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Cow Ghee (Sorath) 500** एमएल के चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1530** एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूनाभाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा रिलप कोड अनुक्रमांक **K-1530** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं विशाल बंसल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विजय कुमार बंसल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:—एलएस/753/एक्ट/2022/753 दिनांक 29.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के—**1530 Cow Ghee (Sorath)** अमानक स्तर Sub-Standard Food & contravenes of Regulation होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी वार्ड नम्बर 04, नामदेव गुरुद्वारा रोड़, थोरी बस्ती, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Cow Ghee (Sorath)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 तथा 58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 06.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।



Signature
श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं. RCMS2022/318

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी सूरतगढ हनुमानगढ बाई पास मकान नम्बर 16 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स जी.डी. मार्केटिंग दुकान सूरतगढ हनुमानगढ बाईपास श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में Cow Ghee (Sorath) की जांच की गई तो Cow Ghee (Sorath) Sub-Standard Food & contravenes of Regulation पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त Cow Ghee (Sorath) में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Cow Ghee (Sorath) का सैम्पल कै-1530 जांच रिपोर्ट क्रमांक: एलएस/753/एक्ट/2022/753 दिनांक 29.06.2022 द्वारा Sub-Standard Food & contravenes of Regulation होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 तथा 58 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 तथा 58 में वर्णित है तथा धारा 31(1) के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी सूरतगढ हनुमानगढ बाई पास मकान नम्बर 16 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स जी.डी. मार्केटिंग दुकान सूरतगढ हनुमानगढ बाईपास श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में Cow Ghee (Sorath) की जांच की गई तो Cow Ghee (Sorath) Sub-Standard Food & contravenes of Regulation पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त Cow Ghee (Sorath) में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " Cow Ghee (Sorath)" bearing Code No. and Sr. No. K-1530 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Sub-standard Food as it does not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee.) The sample also contravenes Regulation No.



(Signature)
श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2.3.7.(2) of Food Safety and (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 due to presence of foreign fat. जॉव रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1)के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000-00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Cow Ghee (Sorath)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Cow Ghee (Sorath)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(डा. हरीतिमा)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगंगानगर